रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 588] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 1971/अग्रहायण 8, 1893

No. 588] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 1971/AGRAHAYANA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th November 1971

S.O. 5256/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Bhagyalakshmi Cotton Mills Ltd., Belgharia, West Bengal, for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri C. A. Subrahmanyam, Sri Sai, 40, Pols Garden, Madras-6.

Members

2. Shri C. S. Anand, Joint Director (Finance), National Textile Corporation Ltd.
3. Dr. P. V. Seshadri, Adviser (Technical), National Textile Corporation Ltd.
4. Shri A. N. Banerjee, Power Loom Adviser, Directorate of Cottage and Small Industries, West Bengal, New Secretariat Building, Calcutta-1.

5. Shri A. C. Sarkar, Accounts Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, 27, Brabourne Road, Calcutta-1.

Member-Secretary

6. Shri B. D. Mukherjee, Deputy Director, office of the Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. F. 9(29)/Lic.Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1971

का० आ० 5256/15/आई० डी० आर० ए०/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भाग्य लक्ष्मी काटन मिल्स लि०, बेलघारिया, पश्चिम बंगाल नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

1. श्री सी० ए० सुब्रह्मण्यम,
   श्री साई, 40, पोइस गार्डेन,
   मद्रास—6 । . . . . . अध्यक्ष

2. श्री सी० एस० आनन्द,
   संयुक्त निदेशक (वित्त),
   राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली । . . सदस्य

3. डा० पी० वी० शेषाद्रि,
   सलाहकार (तकनीकी),
   राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली । . . सदस्य

4. श्री ए० एम० बनर्जी,
   शक्तिचालित करघा सलहाकार,
   कुटीर तथा लघु उद्योग निदेशालय,
   पश्चिम बंगाल,
   नया सचिवालय भवन, कलकत्ता—1 । . . सदस्य

5. श्री ए० सी० सरकार,
   लेखापाल अधिकारी,
   क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय,
   समवाय विधि बोर्ड,
   27, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता —1 । . . . सदस्य

6. श्री बी० डी० मुखर्जी,
उप-निदेशक,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
बम्बई—20 । . . . . सदस्य-सचिव

[सं० फा० 9(29)/साइ० पोलि/71]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971